RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD.
[COROPORATE IDENTITY NUMBER(CIN): L40109RJ2000SGC016485]
VIDYUT BHAWAN, JANPATH, JYOTI NAGAR, JAIPUR – 302 005.
PHONE NO. 0141-2740381/82
Website: www.energy.rajasthan.gov.in/rvpnl

No. RVPN/Karmik/F.4(G)45/D. 225 Jaipur, dated 6/7/2020

The Chief/Addl. Chief Engineer ( ),
Chief Controller of Accounts,
Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd.,
Jaipur/Jodhpur/Ajmer.

Sub:- Merit Certificate to be awarded on the occasion of Independence Day, 2020 by the state government.

While enclosing herewith copy of letter dated 19.06.2020 of Jt. Secretary to Govt., BPE, GOR, Jaipur, it is requested to kindly arrange to send proposals of officers/officials for awarding Merit Certificate by State Government on the occasion of Independence Day,2020 (15th August 2020), in the prescribed format, on or before 10th July, 2020, to this office for further needful.

Encl :- As above.

(Shyam Singh Shekhawat)
Secretary(Admn.)

Copy to the following for information and necessary action:
1. JLR, RVPN, Jaipur
2. OSD(Telecom),RVPN,Jaipur
3. Joint Director(Corporate Affairs)-cum-Company Secretary,RVPN,Jaipur
4. Superintending Engineer (HRD),RVPN,Jaipur
5. JS/DS/AS(Estt.-I/II/III/APA/GAD/Pension),RVPN,Jaipur
6. DDP(HQ)/Dy.Director(PR),RVPN,Jaipur
7. AO(Admn.-Store)/ System Analyst,RVPN,Jaipur
8. Addl.PS/PA to CMD/Dir.(Tech./Opr./Fin.)/Secretary(Admn.),RVPN,Jaipur

6/7/2020
(Amitabh Gupta)
Chief Personnel Officer

R. R. No. CPO/RVPN/ 523
Dated 24/6/20

RVPNL 1065 22/6/20

Sec/A1

1 9 JUN 2020

राजस्थान सरकार
राजकीय उपक्रम विभाग
राजकीय उपक्रम ब्यूरो

5243
19/06/2020

विषयः— **राज्य सरकार द्वारा राजकीय उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को स्वाधीनता दिवस समारोह 2020 (15 अगस्त, 2020) के अवसर पर योग्यता प्रमाण पत्र दिये जाने बाबत।**

CPO
28/6

आगामी **स्वाधीनता दिवस समारोह** 2020 (15 अगस्त, 2020)को आयोजित किया जावेगा। इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा राजकीय उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को योग्यता प्रमाण पत्र स्वीकृति नियम 1990 के अधीन राजकीय उपक्रमों के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के उपलक्ष में योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किये जावेंगें, जिनके लिए प्रस्ताव सदैव की भांति विचारार्थ अपेक्षित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके अधीन नियोजित राजकीय उपक्रमों के अधिकारियों/कर्मचारियों को योग्यता प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु उनके सेवाकाल के संबंध में विवरण तथा राजकीय कर्मचारी की सेवाऐं किस प्रकार असाधारण रूप से उपयोगी सिद्ध हुई, उसके संबंध में कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रशासनिक सचिव की टिप्पणी एवं संबंधित मंत्री महोदय, का अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र में (छः प्रतियों में) दिनांक 20.07.2020 तक अवश्यमेव राजकीय उपक्रम ब्यूरो को भिजवा दिये जावें, ताकि यथा समय उन पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। **इस तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्ताव पर किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।**

प्रस्ताव भिजवाते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर इन्हें पूर्ण करके ही प्रस्ताव भेजा जावे अन्यथा प्रस्ताव पर विचार किया जाना व्यवहारिक नहीं होगा—

1. विभाग द्वारा अपने स्तर पर परीक्षण किया जाकर न्यूनतम दो वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन "उत्कृष्ट" श्रेणी तथा शेष "बहुत अच्छा" श्रेणी के होने पर ही प्रस्ताव सात वर्षो यथा वर्ष 2013—14 से 2019—20 तक के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन सहित प्रेषित किये जायें। अन्यथा प्रस्ताव को अपूर्ण मानकर उस पर विचार नही किया जावेगा।
2. प्रस्ताव प्रशासनिक सचिव की सिफारिश व संबंधित मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर भेजें।
3. प्रस्ताव छः प्रतियों में प्रेषित करें।
4. प्रस्ताव के साथ निर्धारित प्रपत्र के सभी बिन्दुओं की प्रविष्टियां पूर्ण करें।
5. प्रस्ताव के साथ प्रशस्ति पत्र हिन्दी भाषा में छः प्रतियों में स्वच्छ टंकित कर (सॉफ्ट प्रति के साथ) संलग्न करें।
6. राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के अलग अलग प्रस्ताव भेजें।

PO(H)

C.P.O.

Scanned with CamScanner

7. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के प्रस्ताव, संबंधित विभागीय प्रशासनिक सचिव के माध्यम से भेजे जावें।
8. प्रपत्र में कालम 5 भी गोपनीय प्रतिवेदन देखकर प्रमाणित करें।
9. एक विभाग से अधिकतम 2 राजपत्रित अधिकारियों व 2 अराजपत्रित अधिकारियों के नाम योग्यता प्रमाण पत्र के लिये प्रस्तावित किये जावें।
10. पूर्व में योग्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित हो चुके अधिकारी/कर्मचारी के प्रस्ताव नहीं भेजें तथा प्रत्येक प्रस्ताव भेजते समय यह भी प्रमाणित करें कि पूर्व में अधिकारी/कर्मचारी को योग्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित नहीं किया गया है।
11. प्रस्ताव अ.शा. टीप के साथ यह उल्लेख करते हुए प्रेषित किये जावें कि **"इस प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है एवं संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के पिछले 7 वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर लिया गया है।"**

sd/-
(संजय शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

अ.शा. टीप एफ2(1)बीपीई/भाग-III/वॉ-2/2015/33 जयपुर, दिनांक 19/06/2020

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव.......... .... विभाग।

2. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजकीय उपक्रमों को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया इस संबंध में प्रस्ताव अपने प्रशासनिक विभाग के माध्यम से ही इस विभाग को प्रेषित करें। सीधे आने वाले प्रस्तावों पर किसी प्रकार का विचार किया जाना संभव नहीं होगा। कोई भी अधिकारी अपने स्वयं के प्रस्ताव स्वयं अपने स्तर से तैयार कर प्रेषित नहीं करेंगें। ये प्रस्ताव उनके उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा ही तैयार कर प्रस्तुत किये जावेंगे। प्रस्ताव निर्धारित समय निकल जाने के पश्चात् स्वीकार नहीं किये जावेंगें।

संयुक्त शासन सचिव

Scanned with CamScanner

राजकीय उपक्रमों के अधिकारियों/कर्मचारियों को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु आवेदन के साथ दी जाने वाली सूचना।

1 (क) नाम
(ख)पद नाम, पे बेण्ड, ग्रेड पे एवं वर्तमान वेतन सहित
(ग)नियुक्ति के दिनांक से आज तक धारित किये गए पद
(घ)सेवा का नाम राजपत्रित/अराजपत्रित
(ड़) घर का पता
(च) टेलिफोन नम्बर निवास/कार्यालय (यदि कोई हो तो)

2. जन्म तिथि

3. सरकारी सेवा में प्रवेश की दिनांक

4. ऐसे कार्यों से संबंधित सूचना जिसके अधीन अभ्यार्थी को चयन के लिए विचार किया गया है।

5. विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र
क)अधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है।
ख) अधिकारी/कर्मचारी को पूर्व में दंडित नहीं किया गया है।

6. विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रेषण टिप्पणी

7. प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा।

8. इनके विरूद्ध क्या किसी प्रकार की कोई शिकायत/एफआईआर /न्यायिक प्रकरण प्रक्रियाधीन है, यदि हां तो उसका विवरण :

9. पूर्व में यदि योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है तो उनका विवरण:

9. अन्य कोई सुसंगत सूचना।

विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner